13.02.17

Notice

An Extension lecture is being organised today by Legal Literacy cell under 'Legal Literacy Campaign' at 11:00 a.m. in the College Hall. Registeration under 'MEET with CM' policy will also be done. This is for the information of all the students and students in maximum number should attend the event.

Dchaudhary
Convener
Legal Literacy Cell

दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र

प्रैस–नोट

आज दिनांक 13.02.17 को पंजाब एवं हरियाणा उच्चन्यायालय के अतिरिक्त महाअधिवक्ता श्री राजेश गौड़ एवं उनके सहयोगी दल द्वारा कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के सहयोग से विस्तार भाषण का आयोजन किया गया जिसमें महिलाओं से सम्बन्धित दहेज कानून की जानकारी दी गई और कानूनी प्रावधानों से अवगत करवाया। मुख्यमन्त्री जी से मिले (MEET with CM) नीति के अन्तर्गत छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया गया लगभग 1000 से अधिक छात्राओं ने रजिस्टेशन फार्म भरें। छात्राओं को युवा वर्ग से सम्बन्धित नीतियों के बारे में सुझाव एवं समाधान करने के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम आदरनीय मुख्यमन्त्री जी एवं छात्राओं के मध्य अन्तक्रिया के लिए आयोजित किया गया। कानूनी साक्षरता अभियान में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ0 श्रीमती विजय लक्ष्मी सिंह ने छात्राओं को अपना सकरात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का सन्देश दिया और बतलाया कि सतत् जागरूकता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है। इस अवसर पर डॉ0 सुमन राजन, श्रीमती मंजु ढुल, श्रीमती पूनम एवं महाविद्यालय की अन्य प्राध्यापिकाए उपस्थित रहीं।

7031, 7033 श्री राजेश गौड़ अतिरिक्त महाअधिवक्ता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ छात्राओं को सम्बोधित करते हुए।

7050, 7051 प्राचार्या डॉ0 श्रीमती विजय लक्ष्मी जी छात्राओं को सम्बोधित करते हुए

एक हजार छात्राओं ने करवाया पंजीकरण

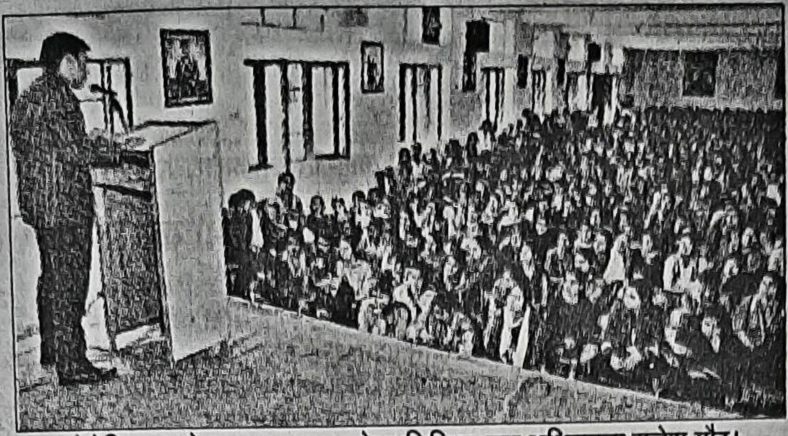

संबोधित करते उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महा अधिवक्ता राजेश गौड़।

कुरुक्षेत्र। दयानंद (डीएन) महिला कॉलेज में सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्व महा अधिवक्ता राजेश गौड़ एवं उनके सहयोगी दल द्वारा विस्तार भाषण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के सहयोग से हुआ, जिसमें महिलाओं से संबंधित दहेज कानून की जानकारी के अलावा कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया गया। मीट विद सीएम नीति के अंतर्गत छात्राओं का पंजीकरण किया गया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक छात्राओं ने फार्म भरे। छात्राओं को युवा वर्ग से संबंधित नीतियों के बारे में सुझाव एवं समाधान करने के लिए प्रेरित किया गया। कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की संयोजिका पायल आनंद चौधरी ने जागरूकता अभियान में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। कॉलेज प्राचार्या डॉ. विजयलक्ष्मी सिंह ने छात्राओं को अपना सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का संदेश दिया। इस अवसर पर डॉ. सुमन राजन, मंजू दुल, पूनम एवं स्टाफ सदस्य सहित बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं।

पंजाब केसरी (14/2/2017)

कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ द्वारा विस्तार भाषण का आयोजन

कुरुक्षेत्र, 13 फरवरी (का.प्र.): दयानंद महिला महाविद्यालय में आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजेश गौड़ एवं उनके सहयोगी दल द्वारा कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के सहयोग से विस्तार भाषण का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से सम्बन्धित दहेज कानून की जानकारी दी गई।

मीट विद सी.एम. नीति के अन्तर्गत लगभग 1000 से अधिक छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन फार्म भरे। छात्राओं को युवा वर्ग से सम्बन्धित नीतियों के बारे में सुझाव एवं समाधान करने के लिए प्रेरित किया गया।

यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री एवं छात्राओं के मध्य अंतक्रिया के लिए आयोजित किया गया।

राजेश गौड़ अतिरिक्त महाअधिवक्ता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ छात्राओं को सम्बोधित करते हुए।

कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की संयोजिका पायल आनंद चौधरी ने जागरूकता अभियान में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। महाविद्यालय की प्राचार्या डा. विजय लक्ष्मी सिंह ने छात्राओं को अपना सकरात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का संदेश दिया और बताया कि सतत् जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। इस अवसर पर डा. सुमन राजन, मंजू दुल, पूनम एवं महाविद्यालय की अन्य प्राध्यापिकाएं उपस्थित रहीं।

दयानन्द महिला महाविद्यालय
ओ३म
कुरुक्षेत्र
तमसो मा ज्योतिर्गमय